

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर
परिशिष्ट "

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिष्चय देखिये)

सेवानिवृति के आदेश का प्रारूप

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

क्रमांक:-संनि/स्कूल शिक्षा/बीका/संस्था-1/सेवानिवृति/2020/215-20 दिनांक:- 27.05.2020

निम्नांकित कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर/मृत्युपरांत/स्वैच्छिक सेवानिवृति प्राप्त करने पर उनके नाम के आगे अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत दिनांक
1	श्रीमती तारावन्ती	व0अ0 सा0वि0	राउप्रावि 35 जीजी पदमपुर श्रीगंगानगर	01/09/1960	31/08/2020
2	श्री महेश चन्द सारस्वत	व0अ0 अंग्रेजी	राउमावि मनफूल सिंह वाला सादुलशहर श्री श्रीगंगानगर	30/07/1960	31/07/2020
3	श्रीमती सुमन कौशिक	व0अ0 सा0वि0	राउप्रावि 5 ए छोटी, श्रीगंगानगर	14/07/1960	31/07/2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक -

(अ) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(ब) राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशिष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(स) कोई न्यायिक कार्यवाहीयां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृति दिनांक तक कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।


(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांक:-संनि/स्कूल शिक्षा/बीका/संस्था-1/सेवानिवृति/2020/215-20 दिनांक:- 27.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. निदेशक महोदय, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
02. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, बीकानेर।
03. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर।
04. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) श्रीगंगानगर
05. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
06. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर